रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-374/2024/518/22-2-2023-17(1007)2022
लखनऊ : दिनांक: 09 दिसम्बर, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/ 1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व योग दिवस (21 जून 2022) के अवसर पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नजई उर्फ जीवनकिशोर (बन्दी संख्या-15654) पुत्र श्री चमनलाल, निवासी म0नं0-27/04 न्यू लेबर कालोनी, थाना-बाबूपुरवा, जनपद-कानपुर नगर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-742/1993 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 02.03.1998 द्वारा दोषमुक्त किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.04.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 21.06.2022 तक 16 वर्ष 03 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 02 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण अच्छा है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/- (रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-374/2024/518(1)/22-2-2023 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
3- पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in